षष्टम माला, खंड 6, अंक 47, शनिवार, 6 अगस्त, 1977/15 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI, No. 47, Saturday, August 6, 1977/Sravana 15, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं / Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये *Price :* Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

अंक 47, शनिवार, 6 अगस्त, 1977/15 श्रावण, 1899 (शक)
No. 47, Saturday, August 6, 1977/Sravana 15, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	1–2
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—Minutes	2
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	3
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House . .	3
संसद् में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते विधेयक—पुरः स्थापित	Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Bill—Introduced	4
नियम 377 के अधीन मामला	Matters under Rule 377 . . .	5
अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में नियुक्ति के बारे में चर्चा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Discussion Re. Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services motion re. Twentieth, Twentyfirst and Twenty-Second Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	8-27
श्री युवराज	Shri Yuvraj	8
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	9
श्री श्याम सून्दर गुप्त	Shri Shyam Sunder Gupta . .	10
श्री बी० रचैया	Shri B. Rachaiah .	10
श्री चांद राम	Shri Chand Ram . .	12
श्री रामजी लाल सुमन	Shri Ramji Lal Suman . .	12
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty .	13
श्री गिरिधर गोमांगों	Shri Giridhar Gomango	14
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan .	14
श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह	Shri Hopingstone Lyngdoh	15
श्री राम अवधेश सिंह	Shri Ram Awadhesh Singh	16
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	16
श्री शिव नारायण सरसुनिया	Shri Shiv Narain Sarsonia	17
श्री लालजी भाई	Shri Lalji Bhai .	18
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed .	19
श्री लहानू शिदाया कोम	Shri Lahanu Shidava Kom	20
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain . .	20
श्री वसन्त सिंह खालसा	Shri Basant Singh Khalsa	21
श्री बी० शकरानन्द	Shri B. Shankaranand .	22

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री पी० वी० पेरियासामी	Shri P. V. Periasamy . . .	23
श्री बी० सी० काम्बले	Shri B.C. Kamble	24
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	25
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	25
श्री राम कंवर बैरवा	Shri Ram Kanwar Berwa . .	26
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi . . .	26
चौधरी हरि राम मक्कासर	Chaudhari Hari Ram Makkasar .	26
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad . . .	26
शोलापुर डिवीज़न के मध्य रेलवे में शामिल करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Inclusion of Sholapur Division in Central Railway . .	9-10
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate. .	9

लोक सभा
LOK SABHA

शनिवार, 6 अगस्त, 1977/15 श्रावण, 1899 (शक)
Saturday, Agusut 6, 1977/Sravana 15, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के फार्म गृह संबंधी ज्ञापन, होटल बोर्डिंग हाउस, गैस्ट हाउस, होस्टल, लोजिंग हाउस और मोटल विनियम 1977 तथा दिल्ली नगरीय कला उद्योग का दूसरा प्रतिवेदन।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा महरौली के निकट फ़ार्म गृह का निर्माण करने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उक्त फ़ार्म गृह के नक्शों की प्रतियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 956/77]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत होटल बोर्डिंग हाऊस, गैस्ट हाऊस, होस्टल, लोजिंग हाऊस और मोटल (बिल्डिंग स्टैन्डर्ड) विनियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 211 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 957/77]

(3) दिल्ली नगरीय कला आयोग, अधिनियम, 1974 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली के दूसरे प्रतिवेदन (1975-77) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 958/77]

श्री हरिविष्णु कामथ (होशंगाबाद) : पिछली बार यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या गृहस्थल प्राइवेट क्षेत्र में हैं ? एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि श्रीमती गांधी ने यह ज़मीन मंगोलपुरी के श्री धर्मवीर सिंह नामक व्यक्ति से खरीदी थी ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी चर्चा अनावश्यक है ।

श्री हरिविष्णु कामथ : सभापटल पर केवल मकान की योजना ही रखी गयी है, अनुमान नहीं ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : इस योजना की स्वीकृति नियमों के विरुद्ध हुई है । इसकी उचित जांच होनी चाहिये । यदि यह नियमों के विरुद्ध है तो इसका निर्माण कार्य बंद किया जाना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पिछली बार मैंने मकान के बारे में सही सूचना देने की मांग की थी । मंत्री महोदय ने यह सूचना नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रखें ।

श्री सिकन्दर बख्त : दिल्ली निगम का कहना है कि उन्हें मकान के अंदर जाकर उसका अनुमान तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिये योजना को मैंने इन्जीनियरों को दे दिया है वे इसके अनुसार अनुमान बना लेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप इसकी जांच कीजिये । इस क्षेत्र में केवल छोटा ही घर बनाया जा सकता है । एक बड़ा घर बनाया गया है (**व्यवधान**)

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि स्वीकृति नियमों का उल्लंघन करके दी गयी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब तक सदस्यों को गेजेट की प्रति सप्लाई नहीं की जाती उस समय तक उन्हें कैसे पता लगेगा कि सभा पटल पर क्या रखा जा रहा है । सदस्यों को समय पर गेजेट दिये जायें ।

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यान रखेंगे कि सदस्यों को गेजेट की प्रतियां दी जायें ।

रेशम बोर्ड नियम, चाय बोर्ड के प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य, पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 का धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 948 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 959/77]

(2) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(3) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) चाय बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे के विवरण ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए स० एल० टी० 960/77]

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही सारांश

श्री नटवर लाल परमार (ढढका) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 6 और 28 जुलाई 1977 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, 1977

(2) कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 1977

(3) नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977

(4) इलायची (संशोधन) विधेयक, 1977

(5) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1977

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री पी० जी० मावलंकर : आज बांटी गयी कार्य सूची में इस बात का जिक्र नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री अगले सप्ताह की कार्यसूची के बारे वकतव्य देंगे । हम कैसे जान सकते हैं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : हम आप लोगों को आज नोटिस दे दिये हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर: अगले सप्ताह की कार्यसूची के बिना सभा के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले हम महत्वपूर्ण मामले न उठा सकेंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री कोई वक्तव्य नहीं दे रहे । इस पर कार्य मंत्रणा समिति ने विचार किया था ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार बोनस के बारे में क्यों नहीं वक्तव्य देती (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले भी काफ़ी चर्चा हुई है । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री समर गुह : मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि सभा मेरे प्रस्ताव पर चर्चा करे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं वचन दे चुका हूं कि अगले सत्र में भी इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय कार्य मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ? इसका उत्तर इस अधिवेशन से पहले आना चाहिये । मंत्री महोदय कहते हैं कि मामला विचाराधीन है ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मेरे पास मीसा वारंट की फोटोस्टेट है । हजारों लोग मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये ।

अध्यक्ष महोदय : आप अल्प सूचना प्रश्न पूछ लें ।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैंने अल्पसूचना प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण नोटिस दोनों दिये थे लेकिन कुछ भी स्वीकार नहीं हुआ । हज़ारों निर्दोश लोगों को जेल भेजा गया । जिन्होंने ऐसा किया उन्हें दंडित किया जाये । सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिये । गृह मंत्री यहां हैं । यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ने ये बातें नोट कर ली हैं ये लोग कहते हैं कि लोगों को उन्हें सूचित किये बिना ही गिरफ्तार किया गया । इन्होंने अल्पसूचना प्रश्न तथा नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस भी दिये हैं । आप विचार करें । क्या आप सोमवार को वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मुझे कोई नोटिस नहीं मिले । मैं इस पर विचार करूंगा और परसों उत्तर दूंगा ।

श्री दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने भारतीय खाद्य निगम के बारे में प्रश्न भेजा था लेकिन उत्तर गलत प्रतीत होता है । आपातकालीन स्थिति के दौरान निकाले गये कुछ कर्मचारियों को अब तक भी नौकरी पर नहीं लिया गया । मैंने गृह मंत्री को जेल के अंदर 76 बंदियों को मार देने के बारे में भी पत्र दिया था । क्या आप गृह मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ?

श्री वयालार रवि (चिरंदकलि) : कल श्री स्टीफ़न ने 50 मिनट तक भाषण दिया था लेकिन "पैट्रियोट" में वह भाषण केवल 2 पंक्तियों में छपा है । जो कुछ आपातकालीन स्थिति के दौरान हुआ था, वह अब भी हो रहा है । अफ़वाह है कि टेलीफ़ोन द्वारा अखबारों को कहा गया कि श्री स्टीफ़न के भाषण को प्रकाशित न किया जाये । आप आपातकालीन स्थिति को अब भी जारी रख रहे हैं (**व्यवधान**)

डा० हेनरी आस्तिन (एरणाकुलम) : ये प्रजातंत्र और आज़ादी की बातें करते हैं । लेकिन श्री स्टीफ़न का भाषण न छपना क्या मात्र संयोग था । देशवासी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं और अनुमति नहीं दूंगा । (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद (लक्षदीप) : कल श्री श्यामनंदन मिश्र ने श्री स्टीफ़न के भाषण में बार बार बाधा डाली । क्या यह अच्छी परम्परा है । आप कार्यवाही देंगे---

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ।

Shri Mahi Lal (Bijnor): I have been asking for time to raise the question of arrears amounting to Rs. 42 crores payable by the Sugar Mills to the farmers. Please allow me to raise this question on Monday.

संसद में विपक्ष के नेताओं का वेतन और भत्ते विधेयक, 1977

SALARYS AND ALLOWANCE OF LEADERS OF OPPOSITION IN PARLIAMENT BILL

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । देश बाढ़ से पीड़ित है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । सरकार को इतना उदार नहीं होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री रविन्द्र वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

Matters under Rule 377

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni): A number of petitions were filed in the High Courts during emergency. So many Judges of the High Courts were transferred. The Janata Government gave assurances recently that the transferred Judges will be asked to give their options whether or not they would like to be posted at their previous stations. I would like to point out that some Judges were not asked to give such options. I would request the Law Minister to speed up the matter and obtain the options of the transferred Judges.

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) महोदय मैं एक बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं । माननीय मंत्री श्री बहुगुणा ने घोषणा की थी कि भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन किया जायेगा । इस निगम के अन्तर्गत कई उर्वरक कम्पनियां हैं और उन में 700 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । इन में से कुछ कम्पनियां चल नहीं रही हैं और कुछ घाटे में चल रही हैं । परन्तु माननीय उर्वरक मंत्री इस पहलू पर ध्यान दिये बिना इस का विभाजन करना चाहते हैं और इसे चार एककों में बांटना चाहते हैं । इस कार्य का सरकारी कोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस का प्रभाव केवल यही होगा कि प्रशासनिक व्यय कई गुणा बढ़ जायेगा । अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों के चार पद बनाये जायेंगे । चार मुख्यालयों की आवश्यकता होगी और वरिष्ठ अधिकारियों के कई अन्य पद बनाने पड़ेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि प्रशासनिक व्यय कई गुणा हो जायेगा ।

वर्तमान सरकार हमेशा सादगी और बचत की बात करती है परन्तु निगम के विभाजन से क्या बचत होगी । इस से तो खर्च ही बढ़ेगा ।

मंत्री महोदय को चाहिए कि ऐसा करने की बजाये वह पुनर्गठन करे और अनुशासन लाये । मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्र के हित में इस मामले पर पुनर्विचार करें ।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक अति गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । यह गम्भीर मामला संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में विभिन्न सरकारी विभागों से श्रमिकों की छंटनी किये जाने से सम्बन्धित है ।

प्रशासनिक अधिकारी धन के अभाव की आड़ लेकर उन श्रीमकों की छंटनी कर रहे हैं, जो पिछले 10-15 वर्षों से लगातार काम करत आ रहे हैं । श्रम विधियों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लगातार 240 दिन सेवा में रहता है, तो उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता । उन्हें स्थायी रूप से रोजगार देना होता है । परन्तु इस मामले में इतने पुराने श्रमिकों को निकाला जा रहा है । 150 व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन के परिवारों की भूखे मरने की नौबत आ गई है । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उन श्रमिकों को पुनः नौकरी पर बहाल किया जाये और उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाये ।

श्री समर गुहा (कंटाई) : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं गृह मत्री का ध्यान राष्ट्रगीत बन्दे मातरम के शताब्दी वर्ष की ओर दिलाना चाहता हूं । मुझे सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं

है कि इस गीत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । यह बात हर व्यक्ति को ज्ञात है कि बन्दे मातरम गाते हुए लाखों लोगों ने लाठियों और गोलियों के सामने अपना सीना तान दिया था । बन्दे मातरम शब्द हमारा राष्ट्रीय मंत्र बन गया है ।

इस लिए मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बन्दे मातरम गीत की शताब्दी मनाने के लिये समुचित कदम उठाये जाने चाहियें । एक छोटी सी संसदीय समिति गठित की जाये और बन्दे मातरम गीत स्मरणोत्सव में एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाये ।

श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण की सूचना दी थी जिसमें वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि दिनांक 9 मई, 1977 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूचना संख्या ९८/77 के परिणामस्वरूप लघु और कुटीर उद्योग के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो गया है, हजारों मजदूरों की जबरी छुट्टी कर दी गई है और हजारों बेरोजगार हो गये हैं। उक्त अधिसूचना के बाद अब कुटीर उद्योग में बनाये गये जूतों पर भी उत्पादन शुल्क लगेगा, क्यों कि वे उन पर ब्रांड नान लिखते हैं। अब उन्हें वे रियायतें उपलब्ध नहीं रही, जो पहले उपलब्ध थीं।

इस के अतिरिक्त अब चूंकि छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योगों के कर्मचारियों को बड़े पैमाने के संगठनों के निर्माताओं द्वारा निर्माताओं के समान समझा जाता है, इसलिए उन्हें लाइसेंस लेने पड़ेंगे और अन्य औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ेंगी । इस उत्पाद शुल्क के परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारियों की आजीविका पर कुप्रभाव पड़ेगा। अतः इस ध्यान आकर्षण का उद्देश्य यह जानना था कि सरकार का इस समस्या के सम्बन्ध में क्या विचार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंडहार्बर) : महोदय, देश में बाढों की तबाही मची हुई है और भूखमरी के हालात पैदा हो गये हैं। ऐसी स्थिति में श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने समर्थकों के माध्यम से बड़े-बड़े भोजों का आयोजन कर रही हैं।

परसों कर्नाटक हाऊस में एक भोज का आयोजन किया गया। सुना जाता है कि इस भोज के खर्च का वहन बिड़लाओं ने किया था। इस भोज में अतिथि नियंत्रण आदेश का खुला उल्लंघन किया गया। यह समाचार मिला है कि भोज में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 175 से 200 तक थी और दस प्रकार के पकवान परोसे गये थे, जिन में वे पकवान भी शामिल थे, जिन पर प्रतिबन्ध है।

मैंने दिल्ली प्रशासन के खाद्य आयुक्त को सूचना दे दी थी, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

भोज कर्नाटक हाऊस में हुआ था, जो कि सरकारी सम्पत्ति है और शायद कर्नाटक के मुख्य मंत्री भोज में शामिल होने के लिए सरकारी खर्च पर हवाई जहाज़ से वहां आये थे।

जहां तक आसाम**

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य मामले के बारे में कोई बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल न की जाये।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

**No recorded.

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, भूतपूर्व संसद् सदस्यों को पेंशन दिये जाने के बारे में, मैंने नियम 377 के अधीन एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की आप से अनुमति मांगी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस की अनुमति नहीं दी है।

श्री पी० जी० मावलंकर : महोदय, भूतपूर्व संसद् सदस्यों को पेंशन दिये जाने से कई माननीय सदस्य असंतुष्ट हैं। मैं इस का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधान मन्त्री सभा में उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि क्या सोमवार को इस की अनुमति दी जा सकती है।

श्री वसंत साठे : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना दी थी। मैं इस सत्र के अवसान अर्थात् 8 अगस्त, 1977 से पहले उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस की एक प्रति उनके पास भेज दूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं इस सभा और सरकार का ध्यान एक ऐसी गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें अन्डमान निकोबार द्वीप समूह के गरीब लोगों तथा छोटे और सीमान्त किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न निहित है। प्रतिदिन मुझे पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें लिखा है कि छोटे तथा सीमान्त किसान जिनमें पुरुष, महिला तथा बच्चे शामिल हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस का कारण यह है कि पिछले वर्षों कीड़ों ने धान की फसल को तबाह कर दिया था और उस वर्ष वहां दिसम्बर में भंयकर तूफान आया था, जिसके कारण धान की दूसरी फसल भी पूरी तरह तबाह हो गई।

उत्तर अण्डमान के डिगलीपुर के गांव और मायाबन्दर तहसील तथा मध्य अन्डमान की रंगत तहसील पोर्ट ब्लेयर तहसील के निकट हवालों और बारातांग ग्राम तथा फेरागंज तहसील के ग्राम सब से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई ग्रामवासी भीजन की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं। अनेक लोगों ने घास, पत्ते और जड़ें आदि खाना आरम्भ कर दिया है। गांवों में भूख से अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार मिले हैं। मैं पहले भी अण्डमान में खाद्य संकट देख चुका हुं, लेकिन इतना गम्भीर कभी नहीं था।

अत: मैं इस महान सदन के सभी वर्गों से अपील करूंगा कि इस सूदुरवर्ती छोटे से क्षेत्र में निर्धन किसानों के जीवन बचाने के लिए सभी सहयोग दें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

श्री वसन्त साठे : इससे पहले मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हुं कि गृह मंत्री बादल जांच के बारे में अपने उस दिन के बक्तव्य को शुद्ध करें। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि न्यायालय से मामले वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तर में यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने न्यायालय द्वारा मंजूर की गई रिपोर्टों को वापस लेने की अनुमति दे दी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप का कथन सही था और यदि नहीं तो मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है।

इसलिए मैं निदेश 115 के अधीन उन्हें अपने कथन को शुद्ध करने का अवसर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे निदेश 115 के अधीन कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला। इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं देता। मुझे अफसोस है कि नियमों के अन्तर्गत इसकी आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में नियुक्ति के बारे में चर्चा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Discussion Re : Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services & Motion Re : Twentieth, Twenty-First and Twenty-Second Report of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अनेक माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अतः इस युवराज को बीस मिनट और अन्य सदस्य को दस-दस मिनट का समय दिया जायेगा।

Shri Yuvraj (Katihar): Mr. Speaker, Sir, I want to raise a discussion on the employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services. This House will be pained to know that the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central and State services have never been filled. Even though this matter has been raised in the House several times, the quota has never been filled in any of the services, be it Class I posts, Class II posts or Class III posts. All the States are required to furnish information in this regard to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes by 31st March, but it is never sent in time.

The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has made a suggestion that special recruitment scheme should be continued for a long time. If this has been done a large number of scheduled caste and scheduled tribes people would have been appointed. But this was not done. The scheme has been implemented only for some time and that too only in regard to Class III and Class IV posts. Therefore, their number in Class I and Class II services continued to be very little which is something very disappointing.

In reply to U.S.Q. No. 6298 the Minister of Finance and Banking has stated the total number of Class I and Class II (gazetted) posts in various Central Excise and Customs Collectorates as on 1-7-1977 and the total number of posts reserved for candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes. The total number of posts as per the Statement in Class I and II in Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Baroda, Bombay, Bubneshwar and Calcutta are 634 and 2399 respectively. It is surprising to note that not a single person belonging to scheduled castes and scheduled tribes has been taken in these posts. The same is the case about Income Tax Department. What could be more shameful for us than this?

The Minister of Railways have stated that special drive has been launched in the Railways for filling the quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now coming to the State Public Service Commissions, the total number of member of the Public Service Commission of Andhra Pradesh including the Chairman is four, out of which one belongs to Scheduled Castes. In Assam out of four one belongs to Scheduled Tribes. There is not even one member in Andhra Pradesh belonging to Scheduled Tribe and none in Assam belonging to Scheduled Caste. In Bihar, Gujarat and Haryana these people have no representation at all in the State Public Service Commissions. This is very disappointing. So long as the social conditions did not change it is difficult to bring these people to the level of other people merely by giving stipends for education. Non-official cells should be set up at Central and State levels to advise the Government in this matter.

At present the quota reserved for Harijans was 15 percent and for the tribals 7½ per cent. It should be increased to 22 per cent and 15 per cent respectively. A special drive should be undertaken to fill the vacant posts. Special concession should be given to these people in the competitive examinations for Class I, Class II and Class III posts.

In Bihar, Bengal and Andhra Pradesh there is an atmosphere of discontent. It would be seen that only those people turned rebels who were Harijans, Tribals, suppressed or economically exploited. Therefore there is great need to bring about a change in the social set

up. So long as these people did not get a respect ful place in society there is not going to be any improvement in their lot.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): The problem of Harijans is being viewed as a social, moral and human problem. But essentially it is an economic problem. It is quite clear that those who are economically backward are also socially and politically backward. The history of the 'shudras' has been a history of the economically down-trodden humanity. Therefore, when this question of reservation for them in the services is being raised what is necessary to do is to make them economically strong. If economic help are provided to the Harijans they can also educate their children in good schools and improve their living conditions.

At the same time it is also necessary to provide special opportunities to those people in government as well as administration. Not only special reservation should be made for them in the services but they should also get adequate representation in the government. If to-day Harijans have been there on the top posts the incidents like Belchi could not have taken place.

It is said that far from giving special opportunities to the Harijans even proper opportunities are not being given to those people. Although the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India's population is 14.6 and 6.9 respectively, their representation in Class I services is 3 per cent while in Class II, III and IV it is 5, 11 and 18 percent respectively. Thus it is clear that only lower type of work has been set apart for these people. A society in which this kind of discrimination is observed cannot last for long.

There should not only be a separate Commissioner for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, an independent ministry should also be set up for them and it should be headed by a Harijan.

So far as the question of filling the reservations is concerned, if those who do not fill them are once punished by the Government it will act as an eye opener to others and these people will soon get full representation in services.

The Home Minister should see that not only more representation is given to these people but even in the matter of promotion reservations should be made for them. Why this has not been done and why these people have so far been neglected, this should also be enquired into and a commission should be set up for this purpose.

It is regrettable that in the warrant of precedence, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been given 28th place. The Home Minister should see that the warnant of precedence is changed and proper place is given to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The reports that are presented are not complete because they do not state what action was taken for implementation of the various assurances given by the Government. This discussion should be carried over to the next session and we should get this action taken report so that we may know what injustice has been done to the Harijans by the previous Government.

शोलापुर डिवीजन को मध्य रेलवे में शामिल करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : INCLUSION OF SHOLAPUR DIVISION IN CENTRAL RAILWAY

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : सदन को स्मरण होगा कि, दक्षिण मध्य रेलवे का गठन अक्टूबर, 1966 में किया गया था और उस दिन से ही जनता तथा रेल कर्मचारियों दोनों पक्षों की ओर से शोलापुर मण्डल को वापस मध्य रेलवे में मिलाने के लिए लगातार मांग की जाती रही है।

संसद् सदस्य, विधान सभा सदस्य, स्थानीय निकायों और यूनियनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन अभ्यावेदनों में रेल उपयोगकर्ताओं तथा व्यापारियों और उद्योगपतियों सहित शोलापुर मण्डल के रेल कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। शोलापुर मण्डल को मध्य रेलवे में अन्तरित करने के सम्बन्ध में दोनों सदनों में समय-समय पर प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं।

शोलापुर मण्डल की समस्याओं की जांच-पड़ताल करने और उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्कालीन उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें तीन संसद् सदस्य भी थे।

इस समिति की सिफारिशों का मोटे तौर पर अनुसरण करते हुए, रेल मंत्रालय में एक विशेषज्ञ दल, इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है।

इस दल के निष्कर्षों के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायेगा, जिसकी घोषणा सितम्बर, 1977 के पहले सप्ताह में कर दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में नियुक्ति के बारे में चर्चा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

Discussion Re : Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services & Motion re : Twentieth, Twenty-first and Twenty-second reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Contd.

Shri Shyam Sunder Gupta (Barh): In 1947, when India became free, Mahatma Gandhi had said that while formulating any policy, the last and the lowest man should be kept in view. But what we find today is that the Harijans and Scheduled Tribes got no relief. The poor has become poorer and the capitalist has grown stronger and stronger. The previous Congress Government had adopted the policy of'Divide', Corrupt and Rule and they have done nothing for the welfare of those people,. As a result, there has been no substantial change in the social and economic condition of those people even after thirty years of independence. One may ask as to what they have done during these years to improve the condition of the scheduled caste people. It is quite evident that corruption has increased in the regime of the previous Congress Government. Villages are still in the state of utter neglect and the condition of Harijans in the rural areas is very pitiable. They have neither any employment nor any means of livelihood. Therefore, the Home Minister should take measures to see that their social and economic conditions are improved within the shortest time.

श्री बी० राचैया (चामराजनगर) : अस्पृष्यता हिन्दू समाज पर एक कलंक है। सरकार को अस्पृश्यता के कलंक को यथाशीघ्र मिटाना अपना कर्त्तव्य समझना चाहिये। सरकार यह सुनिश्चित कर कि यदि सरकारी कार्यालयों में कोई अधिकारी इन्हें अस्पृष्य मानता है तो ऐसे अधिकारी को दण्डित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकारी आवासों का आवंटन करते समय सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुछ क्वार्टरों का आरक्षण करना चाहिये ताकि इन्हें क्वार्टर मिलने में कठिनाई न हो। हरिजनों और आदिवासियों पर इस कारण अत्याचार किये जाते हैं क्योंकि वे विरोध करते हैं। जब भी जमीदार इन्हें बेदखल करना चाहते हैं, तभी झगड़ा हो जाता है। जब हरिजन पेय जल के लिए कुओं से पानी भरने जाते हैं तो इन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन पर अत्याचार किये जाते हैं। लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय,

उनके खिलाफ आम कानून लागू किया जाता है। जांच ठीक ढंग से नहीं कराई जाती और उन्हें निरपराध घोषित कर दिया जाता है। गृह मंत्री को इन लोगों के प्रति विशेष सहानभति दिखानी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके जान माल एवं प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। जब भी अत्याचार किये जाते हैं तो वहां विशेष दस्ते और जांच प्राधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिये। तभी वे हम सरकार के अधीन सुरक्षित महसूस करेंगे।

जहां तक आर्थिक उद्धार का प्रश्न है, सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये शिक्षा सुविधायें दी हैं। केन्द्रीय सरकार उन सभी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति देती है जिनके अभिभावक का वेतन 750 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है। अभिभावकों की आय पर विचार किये बिना उन्हें मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। चूंकि शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है, केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये कुछ तकनीकी पाठयक्रमों में छात्रों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके परिमाप में एवं स्तर में सुधार किया जाना चाहिये। विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय स्कूलों और सैनिक स्कूलों में आरक्षण नहीं किये जाते। जब तक हम इन छात्रों को ऊंचे दर्जों की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं देते वे प्रतिस्पर्धा परिक्षाओं में दूसरे छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेंगे। ऐसी नीति बनाई जाये कि अमीरों के लिये बनाये गये केन्द्रीय स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दाखिला दिया जाये। इसी प्रकार इन जातियों के लिए योजना आयोग से लेकर पंचायत तक आरक्षण किये जायें।

जहां तक सेवा रिकार्डों का सम्बन्ध है, इन जातियों के लिये आरक्षण केवल सीधी भर्ती में किये जाते हैं। हाल में सरकार ने प्रथम श्रेणी की पदोन्नति में रिक्तियों के बारे में आरक्षण किये हैं। ऐसे आरक्षण अन्य श्रेणियों में भी होने चाहिये। यदि सरकार यह महसूस करती है कि नौकरी को किसी श्रेणी में पर्याप्त प्रतिनिधत्व नहीं है तो वह संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को कहने की बजाय पर्याप्त नियुक्तियां कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पिछले कोटे को पूरा करने के लिये द्रुत कार्यक्रम बनाना होगा। सेवा के प्रत्येक वर्ग के कुल कर्मचारी वर्ग के आधार पर आरक्षणों का पता लगाना होगा। सरकार यह सुनिश्चित करे कि आरक्षण सम्बन्धी आदेश सिफारिशों के अनुरूप दिये जायें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण करने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। कुछ सेवाओं के मामलों में श्रेणी II, श्रेणी III तथा श्रेणी IV तक संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से ले ली गई है। जब तक हमें इन समितियों में प्रतिनिधत्व नहीं दिया जाता, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।

अनुच्छेद 335 में प्रयुक्त 'प्रशासन की कार्यकुशलता के अनुरक्षण के साथ संगत शब्द बाधक सिद्ध होते हैं। चयन समितियों एव जाच समितियों में जो भी लोग हैं उनकी पूर्वधारणा यह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग अक्षम एवं निम्न होते हैं। यह धारणा बदलनी होगी। इसके लिये यह शब्दावली बदलनी होगी।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि सामन्य क्षेत्र में 18 प्रतिशत राशि इस वर्ग के लोगों के उन्थान के लिये आरक्षित की जाये। अतः इस सकल्प को क्रियान्वित करना होगा। हमें उन लोगों को प्रशिक्षण देना होगा जो व्यापार में या अन्य व्यवसायों में

रुचि रखते हैं। उनका ध्यान रखा जाना चाहिये। यदि सुरक्षोपायों का सही क्रियान्वयन नहीं किया जाता तो इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सभी सिफारिशें क्रियान्वित की जानी चाहिये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अब धार्मिक अल्पसंख्यक आयुक्त से सम्बद्ध किया जा रहा है। एक आदमी के लिये दोनों वर्गों के साथ न्याय करना बड़ा काम है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये एक अलग आयुक्त होना चाहिये तथा उसे अधिक शक्तियां दी जाये तथा उनके संरक्षणों को उचित रूप में लागू किया जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

The Deputy speaker *in the Chair*

Shri Chand Ram (Sirsa) : The reports under discussion relate to the years 1970—74. They are so old that it appears to be futile to discuss them. It goes to the credit of the Janta Government that they have placed their reports for discussion at the earliest available opportunity when the previous Congress Government could not take them up for discussion all these years. It reflects the attitude of apathy of the previous Government towards the problems of these backward people.

Untouchability is a blot on the society and the Home Minister is committed to wipe it out according to the Janta Party manifesto. The Home Minister has gone to the extent to say that only those who will marry out of their caste, will be taken in class III, and class IV services of the Government. The Home Minister has also said that there will be a separate Ministry for Harijans. It is hoped that these pronouncements will be put into action.

The stories of atrocities against Harijans are quite old but they have been keeping silent all these years. The previous Government has done nothing to prevent them during all these years.

Today it is necessary to provide economic security to these people. During the first plan there were 5 crore acres of unfertile land which had not yet been allocated to Harijans. The laws enacted for land ceiling has a number of loophloles. So no land is available for distribution. In 1965 it was decided in Haryana to allot all Government land to scheduled caste people. Why similar law is not enacted for other states. Unless land is allotted to these people their status cannot improve.

It was decided in 1962 that there would be a special section for Harijans.

उपाध्यक्ष महोदय : पर्याप्त समय हो गया । अब आप बैठ जायें।

Shri Chand Ram : I am just concluding.

Unless there is separate Ministry and there is specific reservation in Nationalised banks they would not be benefitted.

During the past 30 years if any scheduled caste boy wanted to join the Army his caste is taken into consideration and his physical fitness is not considered.

I hope Harijan Finance Corporations like the ones in Haryana and Punjab would be established on all India basis.

Shri Ramji Lal Suman (Firojabad) : Whenever the report of scheduled castes and scheduled Tribes is discussed, assurances are given that Government would take steps to bring about radical changes in the conditions of Harijans. But, in spite of that, nothing has been done in the direction during the last 30 years of Congress rule in the country.

Unless the commissioner of scheduled castes and scheduled tribes retained the Administrative powers this institution would not be of much use. The Harijan officers of the Harijan and Social Welfare Development have not been given the ordinary facilities of transport on Telephone.

According to 1971 census the percentage of general literacy in the century is 29.35 whereas the percentage of literacy among Harijans and Adivasis is only 14.71 and 11.29. It is therefore most desirable that adequate facilities are provided to educate these people, and arrangement should be made to impact training to scheduled caste candidates for preparing them to IAS on IPS examinations.

There are different nomenclatures for Harijans in different states. Same kind of uniformity should be brought about in it. The Harijans who have came to Delhi after 1951 are not being given scheduled caste certificates.

Harijan colonies are being established but they are totally different from colonies meant for other people. This created a sense of isolation among them. The N.D.M.C. has constructed some shops at connaught place in Delhi but in spite of 22 per cent reservation for Harijans not even one per cent of the shops have been given to them.

Government should take effective steps to enforce total prohibition in the country with a view to improving the canditions of scheduled castes people.

A good deal is required to be done to distribute land surplus over the ceiling. Unless this is done, no radical changes can be brought about in their condition.

As regards untouchability it could not be wiped out unless inter-caste marriages are arranged.

More and more opportunities and facilities should be given to Harijans to bring about their social and economic upliftment. So far as reservation is concerned it should be enlarged to cover maximum number of scheduled castes and tribes.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इन प्रतिवेदनों के लिये मैं गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं। पिछले कई वर्षों से इन प्रतिवेदनों पर लोक सभा में चर्चा नहीं की गई। देश की जनसख्या का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों का है। उनकी जनसंख्या 8.8 करोड़ है। उनमें से 41 प्रतिशत कृषक हैं जबकि 37 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। 6 प्रतिशत उद्योगों में लगे हुए हैं तथा 2.39 लाख पशुपालन में संलग्न हैं। क्या स्थिति में कोई मौलिक परिवर्तन हुआ है?

प्रश्न इस सरकार या उस सरकार का नहीं है। परिवर्तन ऊपर से होने चाहिए। उसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1955 तथा 1964 के अधिवेशन में सामाजवादी समाज की बात आरम्भ कर दी। किन्तु आज भी हम देख रहे हैं कि देश में बेलची जैसी घटनाएं हो रही हैं। यह हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा हरिजनों को विकट निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां समचे परिवार ने जहर खाकर आत्म हत्या कर दी।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : इसके लिए भूतपूर्व सरकार जिम्मेदार थी। उन्होंने बेलची काड पर सभा मे हंगामा मचा दिया और इस कांड की न्यायिक जांच की माग की है। आज इस तरह की घटनाओं को देखकर हमारा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। मैंने रामधन समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है।

उदाहरण के लिए बेलची कांड के बारे में कहा गया है कि 50 या 60 अपराधियों में से आज तक केवल 23 अपराधी गिरफ्तार किए जा सके हैं। आज इस तरह के अपराधियों को पकड़ने में विलम्ब क्यों होता है। जबकि श्री मोहन धारिया, श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमण्डल में थे तो उन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री को कहा कि हमें चुनावों के दौरान किए गए वचनों को पूरा करना चाहिए। किन्तु हुआ क्या, उन्हें मंत्रि-मंडल से निकाल दिया गया और आपात स्थिति के दौरान जेल भेज दिया।

पिछली सरकार ने हरिजनों के बारे में बड़े-बड़े दावे किए। आपात स्थिति के दौरान तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से ऐसा कानून पास करने का अनुरोध किया कि तमिलनाडु में हरिजनों को मंदिरों का पुजारी नियुक्त किया जा सके। किन्तु पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। अब समय आ गया है जब सरकार पुराण पन्थियों पर प्रहार करने के लिए कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाये।

हरिजनों और आदिवासियों के लिये स्कूलों और कालिजों में आरक्षित 72 प्रतिशत स्थानों का उपयोग 1969–70 में किया गया था। तथा 1970–71 में यह 60 प्रतिशत रहा। तमिलनाडु के स्कूलों में उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। मात्र आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। उन छात्रों को अन्य आम छात्रों के स्तर तक उठाया जाना चाहिए। हमें इस समूची स्थिति पर नए ढंग से विचार करना चाहिए।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुड) : अनुसूचित जन जातियों की समस्याएं अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं। क्योंकि अधिकांशत. वे वनों में रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक दयनीय है। क्योंकि उनमें अभी भी वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित है।

संविधान में जनजातियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। किन्तु अभी भी उस उपबन्ध को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारें इस समस्या को हल करने की ओर अधिक ध्यान दें। जनजातियों का प्रारम्भ से ही शोषण किया गया है। पहले वन नीति, आबकारी नीति और तथा अन्य कई प्रकार से उनका शोषण किया जाता था : मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि उनका शोषण समाप्त करने के लिए अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का है। पिछली सरकार ने आदिवासियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, किन्तु वास्तविक रूप में किया कुछ भी नहीं गया। सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे।

आदिवासी देश के विभिन्न क्षेत्रो में रहते हैं। उनको संसद में कोई प्रतिनिधि प्राप्त नहीं है। उनके साथ भाषा की भी समस्या है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाएं, जिससे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विकास के बारे में अपने विचार रख सकें।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): Today in 1977 we are discussing the reports of the years from 1970-71 to 1973-74, i.e. the report of the 4 years back is being discussed today. In my opinion it is simply wastage of time to discuss this report. Because there is no guarantee that the suggestion for reommendations made in this report will certainly be implemented.

Some members have raised the question of reservation in services for the Harijans and Adivasis. From the figures available it seems that the quota reserved for scheduled castes and scheduled tribes is seldom fulfilled.

Similarly there is only one employee from Scheduled Tribes and 49 from Scheduled Castes in the Electricity Deptt., Transport and Shipping and Works and Housing Ministry There are 41 employees from Scheduled Castes and 1 from Scheduled Tribes in the Social Welfare Department.

It is not sufficient to reserve the posts. There is a big disparity in the pay-scales of higher posts and lawer posts in Government of India. The higher the post, the more are the salary and comforts. While in lower posts such as these of chokidars and peons, the workload is quite heavy but pay-scales are far less. This is because most of the lower posts are filled by Harijans. Government must look into it and see that this disparity in pay-scales is reduced.

The caste system is evil and has been persisting in our society for the past thousands of years. If we want to eradicate it, we will have to take firm and bold steps. For instance why the priestship of a temple should be a monoply of Brahmins only. Any one who qualifies an examination an religion, should be appointed a priest.

Reservation should not be confined to Government service only. There must be reservation in every sphere of activity of the society. Government must ensure that at least one members of such Harijan family is given a job in a Government department.

In case the Government is sincere regarding welfare or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the recommendations made in the reports should be implemented vigorously. It is no use making Government officials a scape-good for not implementing the recommendations. Instead, the responsibility must be fixed on the Ministers concerned.

श्री होपिंगस्टोन लिंगडोह (शिलोंग) : अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालने का यह एक अच्छा अवसर है। ये प्रतिवेदन वर्ष 1971 से 1974 की अवधि से सम्बन्धित हैं। इनमें पिछड़े क्षेत्रों के लोगों पर किये गए अत्याचारों का उल्लेख है।

पिछले 30 वर्षों के दौरान मेघालय तथा देश के उत्तर-पूर्वी भाग के जनजाति क्षेत्रों के उत्थान के लिये कई सिफारिशें की गयीं तथा इन क्षेत्रों के विकास हेतु बहुत धन व्यय किया गया लेकिन इसके कोई भी ठोस परिणाम नहीं निकले।

बंगलादेश युद्ध के कारण 1971–72 में बहुत से शरणार्थी मेघालय में आये और वहां की अर्थ-व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची। जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पिछले वर्ष ही वहां के लोगों को कुछ पैसा दिया गया।

वहां के जनजाति क्षेत्र के लोगों के बीच असंतोष है। पाकिस्तान और बंगला देश के बनने पर लोगो की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गयी क्योंकि इन देशों के साथ वहां के लोगों का व्यापार बंद हो गया। 1947 के बाद हमारे लोग गरीब हो गये हैं क्योंकि बंगला देश में ये अपना जो माल बेचते थे उसका विक्रय उसके बाद बंद हो गया। निस्संदेह सरकार ने जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु 10 लाख रुपये व्यय किये हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि यह पैसा कैसे व्यय किया गया?

हमारे जनजाति क्षेत्रों के व्यापार पर शहर में रहने वाले लोग हावी हो गये हैं। इस कारण भी हमारी आर्थिक स्थिति विगड़ रही है।

जनजाति क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता। हम बहुत पिछड़े लोग हैं। हम पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हमारे जनजाति क्षेत्रों में बाहर के लोग आकर बस गये हैं। वहां के लोगों का शोषण हो रहा है। हमारे क्षेत्रों की जन्म दर नहीं बढ़ रही है जबकि शहरी क्षेत्रों की आबादी बढ़ रही है।

पड़ोसी देशों नेपाल आदि से लोग आकर इस राज्य में बस रहे हैं। वे वनों का लाभ उठा रहे हैं और आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। सरकार इस प्रकार से हमारी सम्पदा और लोगों के शोषण को रोके।

गृह मंत्री स्वयं मेघालय जाकर वहां की स्थिति देखें। इससे वह उस क्षेत्र की जानकारी पा सकेंगे और इस विकास के लिये कोई ठोस कार्यवाही कर सकेंगे।

Shri Ram Awadesh Singh (Vikram Ganj): Reports of the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes have been discussed from time to time in this House, but no significant improvement ha staken place in the lot of scheduled castes and scheduled tribes people. Even incidents of atrocities on these people had been on the increase year after year.

Before independence if there was a murder in an area, it was regarded as a very serious incident. But now murders have become quite common. There are so many incidents of cruelties being prepetrated on Harijans. It is because after independence political powes had come in the hands of caste Hindus. In the administration also power is in the hands of caste Hindus.

During the British regime, Indian Penal code, Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code were devised to suffers the people. But even often independence no changes has been brought about in these laws. Now these laws are used to harass Harijans

Continuance of use of English in our country is acting against the interests of Harijan. These people are not able to complete with those who have good command over the English language. Therefore. they are not able to get into administrative services.

Puranic stories have been having a lot of influence on the thinking of caste Hindu. In these stories inferior status is given to so-called sudra's. The inflence of these mythological stories on our culture will have to be from the minds of the peolpe.

At present adequate representation is not being given to scheduled castes and scheduled tribes in seats of political power. They must be given seats in the council of Ministers equal to 1/10 of their strength in the House so that they can have an adequate say in policy making.

The reports of the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes, which are under discussion do not give a true picture of incidents of practice of untouchability. There is gross under statement of factual position. What is the use of having a Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes who does not give a proper account of the problems of scheduled castes and scheduled tribes.

We shall have to bring about a social revolution in the country. Stringent laws should be made to remove injustice against scheduled castes and scheduled tribes. These laws should be properly implemented. If the present unsatisfactory situation does not change these people will be forced to take to arms to use up power so as to be able to a meliorate their lot.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : हरिजनों पर आक्रमण आए दिन की बात हो गई है। देश के सभी भागों से हरिजनों पर अत्याचार के समाचार मिल रहे हैं। इन समाचारों से स्पष्ट है कि समाज के प्रभावशाली वर्ग ने हरिजनों के विरूद्ध पुलिस की सांठ-गांठ से अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। उन्हें जीवित जलाया जा रहा है, हत्याए की जा रही हैं, उनकी भूमि छीनी जा रही हैं तथा उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सदन को पता होना चाहिये कि ये हमारी जनसंख्या का एक चौथाई भाग हैं।

देश की एक चौथाई जनसंख्या के साथ हमारा क्या व्यवहार है? हमने पूर्वोत्तर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के सदस्यों के भाषण सुने। इनके साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे हैं। हजारों मील दूर से आए मिशनरी उनमें रहते हैं, इन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, शिक्षित करते हैं और आधुनिक जीवन से परिचित कराते हैं। क्या हम ऐसे किसी कार्य के किए जाने का दावा कर सकते हैं। क्या हमें इस स्थिति पर शर्म नहीं आनी चाहिए?

अब क्या हो रहा है? सवर्ण और जमीदार पुलिस की सांठ-गांठ से इस एक चौथाई जनसंख्या को दबाये जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक गम्भीर सामाजिक समस्या है। संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों और हरिजनों को जो मिलना चाहिए, असल में ये समाज पर हावी लोग उसे नहीं देते। अतः यह एक गम्भीर राजनैतिक समस्या है।

यह एक आर्थिक प्रश्न है क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती। उनसे भूमि छीन ली गई है। संक्षेप में हमारी जनसंख्या का एक चौथाई भाग समाज के इन हावी वर्गों द्वारा सताया जा रहा है अतः इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में लिया जाना चाहिए।

हमारे देश में 1920 में भी इससे मिलती-जुलती स्थिति पैदा हो गई थी। हमारे समाज के पिछड़े वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया और सवर्ण हिन्दुओं और जमीदारों ने उनको बचाने की काशिश की। उस समय कन्नड़ कांग्रेस ने छूआछूत का प्रश्न उठाया और इसे राष्ट्रीय प्रश्न समझा गया। भारत के सभी भागों के लोगों ने इसमें सहायता की। आप सब जानते हैं कि गांधी जी हरिजनों के उत्थान हेतु ऐतिहासिक उपवास किया और यह हरिजन नाम भी उनका दिया हुआ है। मैं आपको नहीं बताना चाहता कि हरिजनों के उत्थान के लिए क्या-क्या किया लेकिन अब स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत क्या हो रहा है। आप उन्हें अपने भाग पर छोड़ दिया हैं।

हरिजनों के विरुद्ध एक किस्म का यह जो रोष है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। हमें सभी संसदीय दलों की समिति बनानी चाहिए जो इन स्थानों पर जाकर असलियत का पता लगाएं जहां कि हरिजनों पर हमले किए जाते हैं। उन्हें हरिजनों के मन से संदेह की भावना निकालनी चाहिए तथा सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की मदद से वातावरण को सामान्य बनाने की कोशिश करें यदि हम ऐसा नहीं कर पाते और यदि उपचारात्मक कदम नहीं उठाए जाते तो अमरीका के नागरिक अधिकार जैसा आन्दोलन यहां भी छिड़ सकता है।

हम विदेशों में कांफ्रेंसों में जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया अथवा अमरीका में किए जाने वाले रंग भेद की आलोचना करते हैं लेकिन हमारे अपने देश में क्या स्थिति है। क्या इस पर हमको शर्म नहीं आनी चाहिए? संसद् को यह प्रश्न गम्भीरता से लेना चाहिए और एक समिति गठित की जानी चाहिए जो इस सम्बन्ध में औपचारिक उपायों का सुझाव दे।

Shri Shiv Narain Sirsonia (Karol Bagh) : Although the office of the commissioner for scheduled castes and scheduled tribes have to look after the scheduled castes and scheduled tribes throughout the country the strength of staff is only 68. How can such a small staff do justice to the work.

During the last 30 years 22 reports have been submitted and many commissioners have been replaced but as yet we have not been able to bring about that situation where a person from the scheduled caste or tribes can become commissioner.

It is said again and again that casteism is the root cause of the problem of scheduled castes and scheduled tribes. But our schedule itself is based on castes. It appears that we have taken the disease itself to be the treatment. So there is need for reconsideration of this matter.

The schedule castes, tribes and denotified tribes have been divided in various classes. This is a great impediment in the way of their coming together for the common cause of their upliftment. Therefore it is necessary to make such provision whereby those people can get an opportunity to unite and make progress through their own efforts.

In class IV services the reservation for the schedule caste and schedule tribes is 15 per cent and 7 per cent respectively. The total percentage of all the backward classes in the country's population is 84. But the present position is this that all power and wealth has been given to the remaining 16 percent population. This is the main cause of the present imbalance. It is time some concrete measures are taken to raise the economic standard of the backward people.

Shri N.K. Bose who was one time the Commissioner for schedule castes and schedule tribes had said in a public address that these people should not get any reservations and they should not be allowed to receive education beyond 10th standard. if persons with such views are appointed Commissioner how can the schedule castes and schedule tribes make any progress?

These reports are often discussed here. But has the Government ever made any assessment as to what progress has been made by those people? Perhaps these people have not been much benefitted during the last 30 years as the previous Government has been serving their own political interest. A white paper should be presented stating how that Government had been deceiving these people all that period.

Much noise is made about the allotment land to the Harijans. But the bitter fact is that in the name of allotment of land the exploitation of these people has increased. Far from getting any additioned income their meagre sources of income are getting squezed. The new technology and mechanisation has brought about more unemployment among these people. Whatever scientific progress has been made has benefitted only the capitalists and the poor workers are being exploited. This needs serious consideration by the Government.

So far as the question of scholarship is concerned a new practice has been started that once a student fails his scholarship is stopped whereas in the past this was not so. The new practice will go against the interest of the schedule castes and schedule tribes. So it should be discontinued.

As regards services it is a practice in the past that if suitable persons are not available against the quota for schedule caste then persons from schedule tribes are considered and vice-versa. But what happened in emergency was that in such cases the posts were deserved. This something very unfair Government should pay attention to it. A separate Ministry should be set up for the schedule castes and schedule tribes which should ensure that their quota is filled with these words I conclude.

Shri Lalji Bhai (Salumber): Mr. chairman sir, a perusal of these reports convince us that during the last 30 years the Congress Government did nothing for the schedule castes and schedule tribes. All the plans had been total failure so far as the upliftment of these people is concerned.

The new Government should see that all the schedule castes and schedule tribes are included in the list of these people. A Bill for this purpose has been brought in the past and has been referred to a select committee. After that it did not come before the House. Government should see that this is done without further delay.

As regards educational facilities to the students of these communities in the III these students get concession and scholarship whose parents earn less than Rs, 20,000 per year. But in the Delhi College of Engineering this income limit has been fixed at Rs, 9,000 although the course in similar. This is very unfair. Government should see that this limit is raised to Rs. 20,000.

The unemployment among the youngmen of scheduled castes and scheduled tribes has been increasing year after year.

Rajasthan is a backward state where scheduled castes and scheduled tribes have been notified. But there are certain states where these castes are not notified. These should be notified in all the states.

It was stated that 348 new trains will be introduced on Western Railway but in 1977 only 274 trains have been introduced. The reason given for this is inadequate traffic potential there. If more trains are introduced, particularly in the backward areas it will provide more employment opportunities to these people. The conversion of Udaipur-Marwar Jn. line via Kamlighat into B.G. line will also go a long way in benefitting these classes.

Regional Passport Officer should set up in each state so as to avoid inconvenience to people.

In the rural areas there are people who have land under their possession since the time of the Moghals. But they have not yet received patta for it. Neither the British Government nor the congress Government could help them in this regard. It is hoped the Janata Government will be able to help these people in getting patta.

As regards atrocities on Harijans, nobody can deny that cases of atrocities do take place from time to time. The Janata Government should pay more attention to it and try to stop them.

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मेरे चुनाव क्षेत्र को देखते हुए ये प्रतिवेदन अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या जनजातियों की है ।

यद्यपि हमारे संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिये अनेक प्रावधानों का उपबन्ध किया है, तथापि अब इन लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं । इनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है । देश में विशेषकर स्वतंत्रता के बाद एक नई विचारधारा पनप रही है और वह यह है कि इन अभागे लोगों का राजनीतिक शोषण भी हो रहा है । विभिन्न राजनीतिक दलों में इन लोगों के कल्याण के लिये काम करने और इनकी सहायता करने की मानो होड़ हो रही है ताकि अपने लिए और राजनीतिक कारणों के लिये इनका विश्वास प्राप्त हो जाये ।

जहां तक इन लोगों पर अत्याचार किये जाने का सम्बन्ध है, यह परिस्थिति कुछ अधिक गम्भीर हो गई है । अस्पृश्यता का कलंक अभी भी विद्यमान है और उन्हें कुंओं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता है । भूमि के मामले में भी इन लोगों पर अनेक अत्याचार किये जा रहे हैं । यदि हम इनकी वास्तव में सहायता करना चाहते हैं तो इन जातियों के अनेक लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाना चाहिये । दूसरे इन लोगों को सामाजिक संरक्षण भी मिलना चाहिये ।

इस समय लक्षद्वीप में कोई लोकप्रिय व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है । अतः इसे केन्द्रीय शासित क्षेत्र नहीं माना जा सकता । लक्षद्वीप की सम्पूर्ण जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है । अतः यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश की तरह ही स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषद् या विधान सभा होनी चाहिये ताकि विकास गतिविधियों या कार्यकलापों में इन लोगों को शामिल किया जाये ।

सलाहकार परिषद् और सलाहकार समिति में इस क्षेत्र के दो व्यक्ति लिये गये हैं । जिन लोगों का द्वीपसमूह के विकास कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो द्वीपसमूह में रहते ही नहीं हैं उन्हें समिति या परिषद् में नहीं लेना चाहिये ।

रोजगार की स्थिति बहुत विस्फोटक है । इस केन्द्र शासित क्षेत्र में कोई सरकारी या गैर-सरकारी उपक्रम नहीं है । वहां सरकारी विभाग ही वहां के लोगों के लिये रोजगार का एकमात्र अवसर है । इस द्वीपसमूह में कच्चा माल बहुत मात्रा में मिलता है जिसका अभी तक किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है । यहां एक राष्ट्रीय मत्स्य पालन केन्द्र खोला जाना चाहिये जहां केरल तथा अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के लोग जाकर मछलियां पकड़ सकें । इससे वहां के लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अधिकाधिक विदेशी मुद्रा भी कमाने में हमें सहायता मिलेगी ।

लक्षद्वीप की जनसंख्या लगभग 40,000 है । वहां पर 11 वर्ष, 15 वर्ष या 17 वर्ष की सेवा करने के बाद भी कर्मचारी आकस्मिक श्रमिक कहलाते हैं । जो व्यक्ति चाहे उन्हें सेवा से निकाल सकता है । इन सभी बातों को ठीक करना चाहिये । लक्षद्वीप के लिये स्वायत्तशासी आदिवासी परिषद् या टेरीटोरियल असेम्बली या लघु राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये । क्षेत्र में छोटा होने के कारण उन्हें लोकतंत्रीय संस्था से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । सलाहकार परिषद् या समिति के सदस्य निर्वाचित होने चाहिये । इस संबंध में मंत्री महोदय को सभा में आश्वासन देना चाहिये।

Shri Lohanu Sidwa Kom (Dahanu): India's one fifth population consists of Adivasis and scheduled tribes but it is a matter of concern that even after 30 years of independence these people are being exploited. They are being made victims of all sort of atrocities. Their land is being forcibly grabbed. A legislation was enacted by Maharashtra Government in 1974 under which Adivasis could retain the land under their control but the land lords who were mostly smugglers and capitalists got that land transferred in the name of trusts etc. I want to request the Government that steps should be taken for return of land to Adivasis.

Adivasis have been living in Jungles and hilly areas. They cleared some land for their day-to-day living but now this land is being taken over by Maharashtra Government. So my other submission is that the S.R.P. men who are getting this land vacated should be called back and that land should given to Adivasis for agricultural purposes.

Sir, during emergency a great hue and cry was raised about the welfare programmes of Adivasis. According to a scheme, the Government was to provide huts to Adivasis which was to cost Rs. 150. The huts which were made with such a small amount were not at all worth giving protection from sun and rain. It was a gross injustice to Adivasis. The allotment of land to Adivasis is also proving a force as actually they are not getting any land. They get it only on paper.

My other submission is that Adivasis are facing acute problem of drinking water. No proper medical facilities are available in Adivasis areas. All these problems of Adivasis should be looked into expeditiously. They should be saved from the atrocities of landlords. It is a matter of pity that even after 29 years of independence, the ladies of Adivasis are being victimised. All these things require immediate attention of the Government.

Lastly, I may submit that if the Government is keen to solve the problem of unemployment, then Adivasis must be provided facilities for setting up Cottage industries. I hope Janata Government will look into all these problems which have been highlighted in the 20th, 21st and 22nd report on Scheduled Castes and Tribes.

The Ministery of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): It is a very serious. issue and if we judge this issue from its economic aspect only, it will be difficult to solve it As a matter of fact castism is the root cause of this problem and it is prevalent from ancient days i.e. the days of Ramayana. So, simply to have a discussion on economic aspect of the problem will not solve the problem. What I want to improve upon hon. Members is that we must try to understand that all men are equal. It is only by understanding the equality of all men that we can think of doing away with this problem. We cannot solve this problem by bringing a Censure Motion against the Home Minister in the name of atrocities on Harijans.

Now I would like to place some facts before the House. The figures of atrocities on Harijans are on increase right from 1973. But now these figures are not increasing with the speed with which these were increasing during Congress regime. I am fully aware how Congress Government handled the people who protested for the entry of Harijans in temples because I was one who lead the procession.

Hon. Members may get offended with me but I am not going to mislead them. Our opponents are experts in the art of misleading others. I know an atmosphere is being created against the Home Minister. Big business houses are spending lot of money for arranging rallies in Delhi to demand withdrawal of Home portfolio from Shri Charan Singh. I am saying all this just to apprise the House that during British rule our capitalists had rupees 25 to 40 crores with them whereas now their capacity is that of rupees 1100 to 1200 crores. How can they tolerate that the son of a farmer should be the Home Minister of this country. A vicious atmosphere is being created saying that Shri Charan Singh is anti-Harijan. But I must make it clear that I have received a number of letters from Harijans who have informed me that they are being pressed by congressmen for lodging false reports.

Those who want uplift of Harijans should defeat the Janata Government. Those who are accusing Shri Charan Singh should read the policy statement of Bhartiya Lok Dal in which Shri Charan Singh has clearly stated that he would know no rest till caste system is rooted out of the country. He has dedicated his life to the uplift of Harijans and other backward people.

In Government services, 20 per cent posts are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But their representation in services is far below that percentage. What did the Congress do for ameliorating the lot of Harijans all these years? Mahatma Gandhi has done a lot for Harijans. It has to be remembered that Shri Charan Singh as a Congress Minister in U.P. has the distinction of having piloted the Zamindar Abolition Bill and of conferring title deeds in respect of land holdings on Harijans.

Appointment of Shah Commission to go into the excesses of Emergency has annoyed certain people. That is why they are angry with the Home Minister. It has to be remembered that during the emergency the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been picked up for compulsory sterilization and subjected to harassment.

I have received a letter from Dr. R. K. Caroli, presidents' physician saying that before the Lok Sabha elections, there was an attempt to pressurise him to tell Mr. Jagjivan Ram who was returning from election tour that he was having heart attack and thus advise him to remain in hospital for some days. According to Dr. Caroli, he was asked to do so by a senior Health Ministry Official.

The doctor declined to oblige the official, According to Dr. Caroli's letter, the official said that he was acting on instructions from higher quarters and if the doctor did not oblige, he could even be sent to jail. I have forwarded Dr. Caroli's letter to the Prime Minister.

We have pledged under the leadership of Gandhiji to create democratic society based on the principle of equality. Both Shri Morarji Desai and Shri Charan Singh supported by Janata Party workers would sacrifice their lives for giving necessary protection to Harijans and religious minorities.

Shri Basant Singh Khalsa (Ropar): Our Constitution provides for social and economic justice to each citizen of the country, but it is well-known to what extent Harijans have been subjected to oppression and exploitation in this country. Refugees from East Bengal and Bangla Desh were rehabilitated in this country even at the cost of great financial strain on the country. But I would like to ask as to why the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have been neglected so far and why no attempts were made to uplift them. Therefore, a separate Ministry should be set up to deal with the problems of Harijans and Adivasis at the national level.

During the last thirty years, nothing has been done to bring about the upliftment of the backward classes people. Even now discrimination is being made against them. The present Government should take it upon themselves to do something to improve their lot. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes people should get their due representation in services as well as in the present Cabinet of the Government.

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या को गम्भीरतापूर्वक नही लिया गया है । माननीय मंत्री ने अपने भाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के अलावा और सभी बातें कही हैं ।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का मामला किसी दल विशेष का मामला नहीं है । अपने भाषणों में सदस्यों ने एक दूसरे के दल पर दोषारोपण किया है । इस देश की प्रत्येक व्याधि के लिये ब्रिटिश राज को दोषी ठहराया गया । अब जनता पार्टी कांग्रेस दल पर दोष मढ़ रही है और कांग्रेस दल जनता पार्टी को दोषी बता रहा है ।

हम हरिजनों पर अत्याचारों की बात करते हैं । हम हरिजनों के कल्याण की बात करते हैं अपने धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, परन्तु क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आजादी के तीस वर्ष बाद भी समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार किये जा रहे हैं । आज देश में यह स्थिति है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई भी व्यक्ति चाहे वह मंत्री हो अथवा संसद् सदस्य अथवा साधारण नागरिक, खुश नहीं है। उस का भविष्य अंधकारमय है । उसे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती । हम लोग डा० अम्बेडकर की बातें तो करते हैं, उनकी सराहना भी करते हैं, परन्तु उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये जो मार्ग दिखाया था, उसे स्वीकार नहीं करते ।

यह आश्चर्य की बात है कि जनता पार्टी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कई जाने माने सदस्य हैं । फिर भी वे अनुसूचित जातियों के पक्ष में कुछ कहने की बजाय चुप रहना अधिक पसन्द करते हैं । शायद सत्ताधारी दल के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य इसलिये चुप हैं कि उन्हें मंत्री बनने की आशा होगी ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जाति प्रथा दूर किये बिना अस्पृश्यता दूर की जा सकती है। जाति प्रथा के लिये मैं किसी विशेष राजनीतिक दल को दोष नहीं देता, परन्तु सभी राजनीतिक दल इस के जिम्मेदार हैं । चुनाव में पार्टी का टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र से कौन सी जाति का उम्मीदवार जीत सकता है । ऐसी परिस्थिति में जाति प्रथा कैसे दूर की जा सकती है ।

जाति प्रथा के बारे में डा० अम्बेडकर ने कहा था कि इसके कारण भविष्य में हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है । डा० अम्बेडकर ने कहा था कि केवल धर्म परिवर्तन से ही अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया था । दुर्भाग्यवश श्री राज नारायण ने मनुस्मृति का उल्लेख किया है । डा० अम्बेडकर ने उस मनुस्मृति को जला दिया था । मनुस्मृति ही जाति प्रथा का मूल कारण है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता पार्टी के मंत्री यह समझते हैं कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति से जाति प्रथा की समस्या हल हो सकती है । वस्तुतः जब तक जाति प्रथा और अस्पृश्यता विद्यमान है, तब तक कोई अत्याचारों को रोक नहीं सकता । जब तक जाति प्रथा जारी है अत्याचार होते रहेंगे । अब तीन वर्ष बाद अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत सदन में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की विचारधारा क्या है ? क्या वह इस सुविधा को अगले दस वर्षों तक जारी रखना चाहती है या वह समझती है कि इन जातियों के लोग आम स्तर तक पहुंच चुके हैं, जहां से वे बिना संवैधानिक संरक्षण के अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ।

मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं, जिन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रतिवेदन में उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिन्होंने

बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है । उन की संख्या लाखों में है । उन लोगों ने सामाजिक यातनाओं से छुटकारा पाने के लिये बौद्ध धर्म अंगीकार किया था । क्या सरकार ऐसे लोगों को रियायतें देगी, जो सामाजिक गैर बराबरी से छुटकारा पाने के लिये धर्म परिवर्तन करते हैं । एक बात मैं और जानना चाहता हूं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने कई सिफारशें करी हैं । मुझे आशा है कि गृह मंत्रालय में उन पर विचार कर लिया गया होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें में से कितनी सिफारशों को सरकार स्वीकार करेगी और कितनी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बौद्ध धर्म अंगीकार करने वालों को वही रियायतें दी जायेंगी जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी जाती हैं । क्या अनुसूचित जनजातियों को, चाहे वे ईसाई हों अथवा मुसलमान वही रियायतें दी जायेंगी । अनुच्छेद 25 में सभी को अपना धर्म अपनाने की स्वतन्त्रता है । जब संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिन्दुओं में बौद्ध शामिल हैं और यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो उसे संवैधानिक रियायतों से वंचित क्यों रखा जाये।

अन्त में, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 76 पद रिक्त पड़े हैं । इन में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त किया जायेगा । हम यह भी जानना चाहते हैं कि इन जातियों के कितने लोगों को राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा ।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : महोदय पिछले सत्र से मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला है । यदि मुझे अब भी अवसर नहीं मिला, तो मुझे सभा छोड़ कर सदन से बाहर जाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को मौका देने का प्रयास करूंगा ।

श्री पी० वी० पेरियासामी (कृष्णगिरि) : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के 25 करोड़ लोगों को संवैधानिक संरक्षण दिये गये हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि उन की हालत बद से बदतर हुई है ।

संविधान के अनुच्छेद 46 में निदेश दिया गया है कि सत्तारूढ़ सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्यायों एवं सभी प्रकार के शोषण से बचायेगी । इस पृष्ठ भूमि में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने विचाराधीन प्रतिवेदनों में कई सिफारिशें की हैं । परन्तु उन्हें कार्य रूप नहीं दिया गया । इन जातियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे देख कर पत्थर भी पिघल गया होता, परन्तु खेद की बात है कि राजनीतिक दलों और देश के नेताओं ने उन का शोषण ही किया है ।

नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद की प्रतिशतता क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत है, जब कि 1 जनवरी, 1974 के केन्द्रीय सेवाओं में स्थिति इस प्रकार थी :—

अनुसूचित जातियां :

श्रेणी I के पद	3.58%
श्रेणी II के पद	4.83%
श्रेणी III के पद	10.34%
श्रेणी IV के पद	17.86%

अनुसूचित जनजातियां :

श्रेणी I के पद	0.65%
श्रेणी II के पद	0.50%
श्रेणी III के पद	2.35%
श्रेणी IV के पद	4.24%

पांच आम चुनावों के बाद भी विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय सरकारें इन जातियों के लोगों को नौकरियों में पूरा आरक्षण नहीं दे पाई हैं । देश में सरकारी क्षेत्र न केवल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बल्कि दलितों के आर्थिक समुत्थान के लिये बनाया गया था । इन जातियों के लोगों के कल्याण के लिये संसदीय समिति बनाई गई है । इसके बावजूद भी उन की स्थिति नहीं सुधरी । जनता सरकार को अनुच्छेद 46 में संशोधन करके यह व्यवस्था करनी चाहिये कि इन जातियों को सामाजिक अन्यायों तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने में असफल रहने पर फांसी की सजा दी जायेगी ।

अधिकारी यह बहाना बनाते हैं कि अर्हताप्राप्त उम्मीदवार नहीं मिले, इस लिये आरक्षित पदों को समाप्त करना पड़ा । प्रतिनिधि सरकार के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि वह अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों का केवल 44 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का केवल 26 प्रतिशत भाग भर सकी है । गृह मंत्री का यह कहने का क्या फायदा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन ऊपर से शुरू होना चाहिये । सांविधिक दायित्व को क्रियान्वित करके उन्हें उदाहरण स्थापित करना चाहिये और जहां भी इस में असफलता हो, दोषी व्यक्ति को हटा दिया जाये ।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : ये प्रतिवेदन चार वर्गों -- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आंगल-भारतीय के लिये संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्य करण के बारे में हैं । जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों के लिये संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यकरण का संबंध है , इन प्रतिवेदनों में एक शब्द भी नहीं कहा गया है । यह संविधानिक दोष है, जिसे संविधान का अवमान कहा जा सकता है ।

ये प्रतिवेदन कांग्रेस के शासन काल से सम्बन्धित है । मैं कांग्रेस दल के अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि इन प्रतिवेदनों से क्या निष्कर्ष निकलता है । आयुक्त ने यह स्वीकार किया है कि हालात बद से बदतर हुए हैं । कांग्रेस के शासन के दौरान जिस अवधि से यह प्रतिवेदन सम्बन्धित है, तीन वर्षों में 1112 हत्यायें हुई हैं ।

वर्ष 1956 में जब अनुसूचित जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उस समय कांग्रेस पार्टी का शासन था । तब से ही कांग्रेस सरकार बौद्धों को दबाती रही है । न केवल बौद्धों को दबाया गया, अपितु उन के संगठनों को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया । मैं चुनौती देता हूं कि डाक्टर अम्बेडकर के अभियान को कोई नहीं दबा सकता ।

कांग्रेस ने कभी भी इन लोगों की मां अथवा संरक्षिका के रूप में काम नहीं किया । उसने हमेशा पूतना मौसी की तरह व्यवहार किया । अब जनता सरकार की बारी है मुझे खुशी है कि गृह मंत्री बुद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं । समूची सभा संविधानिक संरक्षणों को कार्यरूप दिये जाने के पक्ष में है । अब देखना यह है कि उन्हें किस प्रकार कार्यरूप दिया जाता है ।

हरिजनों और गिरिजनों के बारे में नीति मानवीय विचारों पर आधारित नहीं है । इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये । संवैधानिक सुरक्षापायों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

श्री एन० श्रीकान्त नायर (क्विलोन) : सभी सरकारी विभागों और राजनीतिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद व्याप्त है । हर वर्ग हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपेक्षा कर रहा है और उन को उनके हक से वंचित कर रहा है । सरकारी सेवाओं और विशेषकर सरकारी उपक्रमों में ऐसा हो रहा है । सरकारी उपक्रम काम दिलाऊ कार्यालयों से कहते हैं कि चार अथवा पांच वर्ष के अनुभवी व्यक्ति भेजे जायें । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्नातक अनुभव प्राप्त कैसे हो सकते हैं ? उनको अनुभव नहीं होता इस लिये उनकी उपेक्षा की जाती है।

केरल में तीन अलग इकाइयां थीं । ट्रावंकोर और कोचीन अलग राज्य थे । मालाबार अंग्रेजों के अधीन था । प्रत्येक क्षेत्र के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अपने-अपने वर्ग हैं । इन सभी वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत संहिताबद्ध किया गया था । परन्तु इस बारे में अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है । इससे उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने और हरिजन छात्रावासों में रहने आदि की सुविधायें अभी तक नहीं मिलती हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे राज्य के हित में तथा अन्य राज्यों के हित में अधिसूचना शीघ्र जारी करवायें, ताकि इन जातियों के लोग अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आ सकें और उन्हें लाभ प्राप्त हो सके ।

ए० के० राय (धनबाद) : मुझे आश्चर्य है कि भगवान ने गलतियां कीं और उसी के परिणामस्वरुप इस समय हमारे देश में जाति प्रथा है । जाति प्रथा को मनु से जोड़ा जाता है तथा यह कहा जाता है कि यह गलती मनु ने की थी । परन्तु मनु से बहुत पहले जाति प्रथा थी । ऋग्वेद में लिखा है कि एक महान शक्ति थी जिसके शीश से ब्राह्मण , भुजाओं से क्षत्री, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए । वही जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था बन गई और देश में आज भी वही वर्ग व्यवस्था है । अब भी यदि हम देखें तो पता चलता है कि ग्रेड I में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई कर्मचारी नहीं है, ग्रेड II में बहुत कम हैं, ग्रेड III में उस से कुछ ज्यादा हैं और ग्रेड IV में उन की संख्या अधिक है । इस का अर्थ यह है कि नौकरी जितने छोटे स्तर की होगी हरिजनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी अर्थात् वे अभी तक समाज में सब से नीचे स्तर पर हैं ।

संविधान की बातें करने एवं ग्रामों में हरिजनों के लिये किये गये सुरक्षापायों के बावजूद उपरि जाति के लोगों के पास भूमि है और अनुसूचित जाति के अधिकांश लोग भूमिहीन श्रमिक हैं। अतः यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है । जब तक भूमि सुधारों में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाता और सामन्तशाही के शेष तत्वों को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक जाति प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

यदि कोई बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है तो क्या इससे समस्या हल हो जायेगी ? मुसलमानों में भी जाति प्रथा है। मुसलमानों का एक वर्ग कहता है कि अल्लाह के सामने वे सब बराबर हैं, परन्तु कुछ लोग इस बात को नहीं मानते । यदि सब ईसाई हो जायें; तो यह समस्या हल हो सकती है। परन्तु यह भी संभव नहीं है । डा० राम मोहन राय ने 100 वर्ष पूर्व यह परीक्षण शुरू किया था, परन्तु उन्हें असफलता ही हाथ लगी । अतः जरूरत इस बात की है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति लाई जाये । सामन्तशाही और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाये ।

छोटा नागपुर के औद्योगिक समूह में केन्द्रीय श्रम विभाग एक हस्पताल चला रहा है । यह हस्पताल खान श्रमिकों के लिये है । इस हस्पताल में हरिजन मंत्रियों के अतिरिक्त सभी दाखिल हो सकते हैं । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि ऐसा प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिये । इस अस्पताल का नाम जगजीवन राम अस्पताल है ।

बिहार के कई क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों का दमन हो रहा है । इसी प्रकार खानों में भी श्रमिकों का दमन हो रहा है । कुछ समय पूर्व शित्रू में भी बी०सी०सी० एल० द्वारा गोली चलाई गयी थी । एक न्यायिक आयोग बिठाया गया । आयोग का निष्कर्ष था कि गोली चलाना गलत तथा असंगत था और बी०सी०सी०एल० दोषी है । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस घटना में शिकार हरिजनों को मुआवजा दिलाया जाये और संसदीय समिति कोयला क्षेत्र में जाकर मामले की जांच करे।

खानों में मशीनीकरण के नाम पर 50 हजार हरिजनों एवं श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरी मांग है कि हरिजनों एवं आदिवासियों की प्रतिशतता नियत कर दी जानी चाहिये और प्रतिशतता में कमी करने पर प्रतिवन्ध लगाया जाना चाहिये ।

कानून के अनुसार एक आदिवासी की जमीन केवल आदिवासी ही ले सकता है । इसी प्रकार यदि किसी हरिजन या आदिवासी की छटनी या सेवा निवृत्ति की जाती है तो उनके बदले में हरिजन और आदिवासी को विशेषकर कोयला खानों में नौकरी दी जानी चाहिये । अन्यथा कुछ ही वर्षों में कोयला खानों में कोई हरिजन और आदिवासी श्रमिक नहीं रहेगा ।

Shri Ram Kanwar Berwa (Tonk): Hon. Members have given some valuable suggestions about the welfare of Scheduled Tribes. I would like to point out that employees in the various Government offices belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are exploited. Their grievances are not attended to properly.

The Scheduled Castes people are generally poor, landless and homeless. There are a number of villages in Rajasthan where drinking water has not been provided by the Government. Necessary attention should be paid towards this by the Government.

Some decision at the cabinet level should be taken to ensure that the rich people do not exploit the poor. I want that Chief Ministers should be asked to ensure that no injustice is done to the harijans.

Some people have suggested that there should be no reservations for harijans. This suggestion if implemented will reduce the number of harijans in the Government service. I hope that Government will continue the reservation for promoting the harijan interests.

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरछलगुदा) : मैं अपना प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 23 दे रहा हूं ।

इस देश में बहुत पहले से हरिजनों पर अत्याचार होते आ रहे हैं । कुछ हरिजनों ने ईसाई तथा इस्लाम धर्म अपना लिया है । इसके बावजूद भी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति वही है जो पहले थी । इन लोगों को वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो हरिजनों को मिलती हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी धर्मों और वर्गों को समान सुविधायें मिलें । इस हेतु एक आयोग का गठन किया जाना चाहिये । धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिये ।

Chaudhari Hari Ram Makkasar (Bikaner): Sir, Lakhs of acres of Government land in Ganganagar District of Rajasthan should be allotted to the landless harijans. That land is being auctioned. Landless people and harijans started an agitation against the auction of land since the Congress Government promised not to auction it. The Government resorted to firing on these people at the time of agitation as a result many people were killed. I want Government to pay compensation to the families of those who were killed and allot land to the landless harijans.

Shri Phirangi Prasad (Bansgaon): Everybody is aware of the services rendered by Chaudhri Charan Singh to the cause of harijan welfare.

The report contains figures about the atrocities committed on harijans. These figures are, no doubt, alarming. Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffered most during Congress regime. Not only were the harijans throughout the country subjected to untold sufferings and atrocities but they were also ignored and exploited at the political level.

We hope that the Home Minister being well aware of the problems of harijans will see that no more atrocities are committed on harijans.

An Hon. Member : Time may be extended by one hour.

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें सभी दलों को बोलने का समय देना है । यह ठीक है कि चर्चा का समय बढ़ गया है । यदि सभा चाहती है तो एक घंटे का समय बढ़ाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : मेरा एक प्रतिस्थापन प्रस्ताव है । यदि मुझे बोलने का समय नहीं मिलता तो इसे पेश करने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर जोर देते हैं तो इसे सभा के मतदान के लिये रखा जायेगा।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): सख्ती से बोलने से कोई भी समस्या हल नहीं होती । मैंने सभापति महोदय से कहा था कि यह चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री की बात को ध्यान में रखते हुये अब इस पर अगले सत्र में चर्चा होगी ।

इसके बाद लोक सभा सोमवार 8 अगस्त, 1977/17 श्रावण 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० व० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 8th August, 1977/Sravana 17, 1899 (Saka)

MGIPRRND—14LSS/77—Sec. IV-N/S—13-12-77—200.